लक्ष्मी बाई बनाम खुशीराम वगै0 (प्रा.पत्र)
मु.नं. 72/2021

दिनांक 11.12.2024

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं. 1352 रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम नाहिडा तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है। सायला ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रजनबाई पत्नि रामदयाल, नरेश, जेइमन, सीमा पि0 रामदयाल से खसरा नं. 1352 का सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा खदी किया है जिसकी सायला खातेदार काश्तकार है। आराजी ख0नं0 1352 में सायला 1/8 हिस्सा एवं गैरसायल सं0 01 लगा0 3 का 1/8 हिस्सा व दावा प्रतिवादी नं0 4 व 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 6 लगा0 8 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। पूर्व खातेदार रामदयाल ने उक्त ख.नं. के अपने 1/8 हिस्से में सडक के लगवा 4 गह दुपल्ला पाटोर पोश बना रखी थी। रामदयाल की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रामदयाल ने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने अपने हिस्से की जमीन जरिये एग्रीमेन्ट चार गह दुपल्ला पाटौर सहित 1352 का 1/8 हिस्सा बेच दी और यह आश्वासन दिया कि आप जब कहोगे तब तहसील में जाकर रजिस्ट्री करवा दूंगा। रामदयाल की मृत्यु के पश्चात रामदयाल के वारिसान ने सायला के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवा दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 381 दिनांक 03.05.2018 सायला के हक में खोला गया। दिनांक 20.06. 2021 को सायला अपनी पाटौर पोश में रखे भैसों के तूडा को लेने गई तो गैरसायल संख्या 1 लगायत 3 ने धमकी दी कि इन पाटौरो पर हम कब्जा करेंगे आपका कोई लेना देना नही है। इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना कानूनन आवश्यक हुआ है। सायला के खातेदारी अधिकारों को आंच आने की संभावना है जिसकी पूर्ति करना संभव नही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 की ओर से श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 04 बावजूद तामिल के उपस्थित नही आये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी को जबाव पेश करने के लिये समुचित अवसर दिये जाने के उपरांत जबाव प्रस्तुत नही करने पर जबाव बंद किया गया।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी रामदयाल के दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसको रामदयाल की मृत्यु होने के उपरान्त वारिसान द्वारा प्रार्थीया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवाने के बाद नामान्तकरण खोला गया है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीया की आराजी पर कब्जा कर सकता है जिससे प्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 1352 रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम नाहिडा तहसील महवा जिला दौसा में प्रार्थीया के हिस्सा तक मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा